



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0स0/2024/ईफाईल 22379 जयपुर, दिनांक:-26.09.2025

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

विषय:-दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को ग्राम सभा का आयोजन बाबत ।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। अतः आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में निम्नांकित कार्यवाही संपादित किया जाना सुनिश्चित करें :-

A. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित बिन्दु :-

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पत्रांक 13474 दिनांक 10.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसरण में :-

1. वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन का कार्य 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में काफी पेंशनर द्वारा बार-बार प्रयास करने के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में माह जुलाई, 2025 के उपरान्त असत्यापित पेंशन लाभार्थियों की पेंशन भुगतान को रोक दिया गया है। ऐसे सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न कारणों से अपात्र हुए पेंशनर्स के पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए ग्राम सभा में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है।
2. सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन कराया जाकर शत प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन कराया जाना है तथा पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा अपात्र पाए गए पेंशनर की सूची तथा गलत सूचना/रिपोर्ट के आधार पर निरस्त पेंशन प्रकरणों की जांच उपरान्त पुनः प्रारम्भ (रि-ओपन) करने की कार्यवाही रिपोर्ट अविलम्ब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Bhushan Goyal

Designation : Deputy Secretary To Government

Date: 2025.09.26 18:29:57 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18031952

eSign 1.0



B. किसान गिरदावरी से संबंधित बिन्दु :-

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं सदस्य-सचिव एग्रीस्टेक क्रियान्वयन समिति, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक 2645 दिनांक 14.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसरण में :-

पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाओं में आने वाले किसानों को तत्समय ही किसान गिरदावरी मोबाईल एप डाउनलोड करने तथा किसान द्वारा लॉगिन की प्रक्रिया का DOIT &C द्वारा तैयार स्क्रीन रिकॉर्डेड विडिया एवं व्हाट्सएप टेम्पलेटस जो https://drive.google.com/drive/folders/1qF5Ntun4ly7GTatkof_OGfu-FjfH2y37?usp=Sharing लिंक पर उपलब्ध है, के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा व्हाट्सप चैनल <https://whatsapp.com/channel/0029Vb6S9hmFHWq3KOBilH1I> को भी किसानों के द्वारा अधिक से अधिक फोलो कराने हेतु संबंधित अधिकारी/कार्मिकों को निर्देशित करे।

C. चारागाह विकास से संबंधित बिन्दु :-

1. पंचायतों में चारागाह और संपत्ति विवरण रजिस्टर सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें ग्राम पंचायत की भूमि, विशेष रूप से चारागाह भूमि, बंजर भूमि और अन्य साझा संपत्तियों का विवरण होता है, जिससे भूमि के अतिक्रमण को रोका जा सके और उनके संरक्षण व विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकें।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह और संपत्ति विवरण रजिस्टर संधारित किया जा रहा है या नहीं। यदि संधारित नहीं किया जा रहा है तो उक्त रजिस्टर संधारित करवाना सुनिश्चित करवायें।
3. ग्राम पंचायतों में चारागाह विकास हेतु ग्राम सभा में "एक पंचायत-एक चारागाह" एवं "एक गांव-एक चारागाह" गतिविधि के संबंध में प्रस्ताव लेकर चारागाह विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी है। इस संदर्भ में संलग्न मॉडल प्रारूप अनुसार चारागाह विकास को राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के स्थाई एजण्डें में जोड़कर, प्रस्ताव पारित किये जाने है।
4. विभागीय पत्र क्रमांक एफ.4(3)दिशा-निर्देश/विधि/पंरा/2024/राजकाज क्रमांक 16303608 दिनांक 22.7.2025 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

D. जन योजना अभियान (पीपीसी)-सबकी योजना सबका विकास से संबंधित बिन्दु :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.9.2025 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 70273 दिनांक 25.9.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार जन योजना अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं संलग्न पत्र में वर्णित निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Bhusan Goyal
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.26 18:29:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18031952
eSign 1.0

अतः उक्त एजेण्डा बिन्दुओं की पालना किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को ग्राम सभा का आयोजन कर, उक्त वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(भारत भूषण गोयल)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, मा0 मुख्य सचिव, जयपुर को उनकी डायरी क्रमांक 1365314 दिनांक 23.9.2025 के क्रम में।
6. श्री अशोक कुमार कोठारी, माननीय विधायक, भीलवाडा, पता:—जी—नवकार (सिटी) सेन्टर, काचीपुरम, भीलवाडा को उनके पत्रांक 1111 दिनांक 12.9.2025 के क्रम में।
7. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं सदस्य—सचिव एग्रीस्टेक क्रियान्वयन समिति, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, मुख्यालय।
10. संयुक्त निदेशक (मॉ0) मुख्यालय।
11. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, मुख्यालय।
12. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Bhushan Goyal

Designation : Deputy Secretary To Government

Date: 2025.09.26 18:29:57 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18031952

eSign 1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई-मेल - adpension.sje@rajasthan.gov.in

DC 8252

ds

जयपुर, दिनांक:- 10.09.2025

11/9/25

क्रमांक F9(5)(11)Pension Vividh/SJED/2021-22-01225(9)/13474

आयुक्त एवं शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
जयपुर।

विषय:- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के असत्यापित पेंशन प्रकरणों के सत्यापन के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का राजकाज रेफरेंस क्रमांक 14551721 दिनांक 23.04.2025

Vinod
10-25
महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन का कार्य 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में 4,30,000 पेंशनर द्वारा बार-बार प्रयास करने के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में माह जुलाई, 2025 के उपरान्त असत्यापित पेंशन लाभार्थियों की पेंशन भुगतान को रोक दिया गया है। ऐसे सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न कारणों से अपात्र हुए पेंशनर्स के पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करवाया जाना है।

सभी ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कराया जाकर शत प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन कराया जाना तथा पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा अपात्र पाए गए पेंशनर की सूची तथा गलत सूचना/रिपोर्ट के आधार पर निरस्त पेंशन प्रकरणों की जाँच उपरान्त पुनः प्रारम्भ (रि-ओपन) करने की कार्यवाही रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाने हेतु संबंधित का निर्देशित करावें।

1921
23/9/25

Aparna Arora

Digitally signed by
Aparna Arora
Date: 2025.09.10
17:27:11 +05'30'
(अर्पणा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक: F9(5)(11)Pension Vividh/SJED/2021-22/01225(9)/13475-78 जयपुर, Date: 10.09.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वांछित कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामान्य अवि, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/राहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धि स्वीकृतिकर्ता अधिकारी से समन्वय स्थापित कर की रिपोर्ट adpension.sje@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

P / SPR / No. 2056...

अति-आवश्यक

Dated..... 18/8/25... राजस्थान -सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक : 14/08/2025

कमांक: राम / DILRMP / गिरदावरी / विविध / 25 / 2645

DCS DSI

शासन सचिव,
पंचायती राज, विभाग राजस्थान,
जयपुर

विषय : आगामी फसल खरीफ 2082 में किसान द्वारा स्वयं के स्तर से गिरदावरी करने के संबंध में ग्राम सभाओं में जागरूकता के क्रम में।

18/8/25

प्रसंग:- मण्डल का पत्रांक 1839 दिनांक 29.07.2025 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत किसानों से अधिक से अधिक फसल खरीफ संवत् 2082 की DCS गिरदावरी करवाये जाने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने के क्रम में पंचायत स्तर पर आयोजित की जानी वाली ग्राम सभाओं में किसानों को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध "किसान गिरदावरी" मोबाईल एप की जानकारी दी जाकर उनके स्वयं के स्तर से अधिक से अधिक गिरदावरी करने हेतु जागरूक किये जाने हेतु समस्त जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित कराने तथा किसानों द्वारा गिरदावरी किये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण एवं कृषक मित्र से स्वयं गिरदावरी कराये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु भी आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया गया था।

उक्त संबंध में पुनः निवेदन है कि पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाओं में आने वाले किसानों को तत्समय ही किसान गिरदावरी मोबाईल एप डाउनलोड करने तथा किसान द्वारा लॉगिन की प्रक्रिया का DOIT & C द्वारा तैयार स्क्रीन रिकॉर्डेड विडियो एवं व्हाट्सऐप टेम्पलेट्स जो https://drive.google.com/drive/folders/1qF5Ntun4ly7GTatkof_OGfu-FJfH2y37?usp=Sharing लिंक पर उपलब्ध है, के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा व्हाट्सप चैनल <https://whatsapp.com/channel/0029Vb6S9hmFHWq3KOBiIH1I> को भी किसानों के द्वारा अधिक से अधिक फॉलो कराने हेतु संबंधित अधिकारी/कार्मिकों निर्देशित कराने का श्रम करावें ।

Sh. Vinod

भवदीय,

o

Yusuf

25/8/25

(महावीर प्रसाद)
निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

एवं
सदस्य-सचिव एग्रीस्टेक क्रियान्वयन समिति

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Prasad
Designation: Registrar
Date: 2025.08.14 15:30:22 IST
Reason: Approved



1923
23.8.25

**दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं में चारागाह
विकास के संबंध में पारित किये जाने वाले प्रस्ताव**

(मॉडल प्रारूप)

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक गाँव/नरेगा/वार्षिक कार्ययोजना/..... दिनांक के क्रम में आज दिनांक की ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव पारित किये जाते हैं।

प्रस्ताव सं 1. पंचायत के शामिल चारागाह भूमियों का आंकलन कर सीमाज्ञान का प्रस्ताव: ग्राम सभा में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत के गाँवों में उपलब्ध चारागाह भूमि को हल्का पटवारी के दस्तावेजों के मदद से क्षेत्र का आंकलन कर सीमाज्ञान करवाया जावेगा। ग्रामवासी हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत के सदस्य जिम्मेदारी लेकर सीमाज्ञान के इस कार्य को पूरा करेंगे, एवं पंचायत परिसंपत्ति रजिस्टर 4 के प्रपत्र 20 में अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।

प्रस्ताव सं 2. चारागाह विकास कार्य प्रस्ताव: चारागाह भूमि एवं जल संरचनाओं के विकास हेतु महात्मा गाँधी नरेगा/जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण/अन्य योजनाओं के तहत वार्षिक कार्य योजना 2026-27 में पंचायत के प्रत्येक गाँव में उपलब्ध चारागाह (नाली अवरोध पत्थर या वनस्पतियों से , ट्रेच , खाई फेंसिंग, सीमा पर तीन पंक्ति में वृक्षारोपण) , नाड़ी, तालाब, एर्निकट , नर्मरी विकास, आदि के आवश्यकता अनुसार संबंधन एवं चारागाह विकास की योजना बनाकर में शामिल किया जाता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं	गाँव का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम	स्थान का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर संख्या)	अनुमानित श्रम बजट राशि	अनुमानित सामग्री बजट राशि	सृजित मानव दिवस	कुल बजट राशि	कार्यकारी एजेंसी
1									
2									
3									
4									

प्रस्ताव सं 3. राजस्व ग्राम व ग्राम पंचायत स्तर कि चारागाह भूमि विकास समिति गठन किए जाने का प्रस्ताव पंचायत के प्रत्येक गाँव में चारागाह भूमि का नियमानुसार उचित संरक्षण विकास व प्रबंधन किया जाएगा। इस बाबत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170(1) के अंतर्गत ग्राम स्तर पर वार्ड पंच की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय चारागाह भूमि विकास समिति का गठन/नवीनीकरण किया जाता है

गाँव	चारागाह विकास समिति के अध्यक्ष का नाम	फोन न.	गाँव में चारागाह भूमि (हेक्टेर)

प्रस्ताव सं 4. विलायती बबूल उन्मूलन : ग्राम सभा में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है की विभिन्न गाँवों में चारागाह भूमि पर विलायती बबूल एवं लेंडाना (जरमरी) के उन्मूलन हेतु अभियान चलाया जाये अतः निर्णय लिया जाता है की महात्मा गाँधी नरेगा या अन्य योजना मद से यह कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए अतः निम्न गाँवों में इस कार्य का प्रस्ताव लिया जाता है

क्र.सं	गाँव का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम	स्थान का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर संख्या)	अनुमानित श्रम बजट राशि	अनुमानित सामग्री बजट राशि	कुल बजट राशि
		विलायती बबूल/ लेंडाना (जरमरी) उन्मूलन					

उक्त सभी निर्णय ग्राम सभा में सर्व भूमिति से पारित किये जाते हैं तथा सभी निर्णय समय सीमा में अमल में लाये जायेंगे।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)दिशा-निर्देश/विधि/पंरा/2024/

दिनांक :

मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त राजस्थान।

विषय :- चरागाह समिति को क्रियाशील करने एवं अतिक्रमण हटाये जाने बाबत।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा चरागाह से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि:-

1. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 170 इस प्रकार से है:-

170. चरागाहों का विकास:- (1) पंचायतों का यह कर्तव्य होगा कि वे चरागाहों में उपयुक्त किस्म की घास, झाड़ियों और पौधों के विकास के लिए और अतिक्रमणों को रोकने के लिए सभी कदम उठाये। इस प्रयोजन के लिए पंचायत प्रत्येक गांव की चरागाह भूमि का नियंत्रण पांच व्यक्तियों की एक समिति को देगी जिसको अध्यक्षता संबंधित गांव का वार्ड पंच करेगा और जिसके चार सदस्य ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित होंगे।

(2) बंद क्षेत्र की घास खुली नीलामी या प्राइवेट संविदा के जरिये बेची जा सकेगी।

(3) विकास योजनाओं की निधियों का उपयोग चरागाहों के विकास के गहन श्रम संगठन के लिए कर सकेगी।

2. चरागाह विकास, चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, जल एवं भूमि संरक्षण हेतु प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2017 (संलग्न) जारी किया गया है। जिसके अनुसार जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने एवं चरागाह विकास योजना की समीक्षा हेतु राजस्थान कार्य विधि नियम 55 के अर्न्तगत जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बंजर भूमि एवं चरागाह विकास समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जिला स्तर पर चरागाह भूमि विकास समिति के नोडल अधिकारी है। उक्त समिति के कार्यों का भी आदेश में वर्णित किया गया है।

3. ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 27.4.2017 (संलग्न) द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर "बंजर भूमि एवं चरागाह विकास समिति" के गठन हेतु निर्देशित किया जा चुका है। ब्लॉक/पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चरागाह विकास समितियों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है। बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित समिति के सदस्यों एवं उतरदायित्व का विवरण भी दिया जा चुका है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To
Government

Date: 2025.07.22 16:34:03 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16303608

eSign 1.0



4. ग्राम पंचायतों की स्वामित्व वाली भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की प्रक्रिया इस प्रकार से है:—
- ❖ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165. **पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिचारियों का हटाया जाना.**— पंचायत की सार्वजनिक भूमियों पर अतिचार के मामलों का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई मास में आबादी भूमियों, तालाब—तल और चरागाहों पर अतिचारियों का सर्वेक्षण करने के लिए तीन पंचों की एक समिति बनवाया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे सभी अतिचार की, क्षेत्र के ब्यौरे और अतिचार की प्रकृति के साथ, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाये। पंचायत आबादी क्षेत्र में ऐसे अतिचारियों को अतिचारित भूमि की बेदखली के लिए नोटिस जारी करें। जब कभी पंचायत या उसके सदस्य या सचिव के ध्यान में लाया जावे कि अतिक्रमण किया जा रहा है तो सरपंच द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध निषेधात्मक आज्ञा जारी कर के तुरन्त अतिक्रमण या निर्माण रोक दें अन्यथा उसके खर्चे व हर्जाने पर ऐसा अतिक्रमण हटा दिया जावे और सुनवाई की तिथि तय कर, पंचायत सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात उचित आदेश पारित करने की कार्यवाही करें।
 - ❖ चरागाह भूमि या तालाब—तल पर पाये गये अतिचार के सभी ऐसे मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को, मामले रजिस्टर करने और अतिचारियों को बेदखली के पंचायत के संकल्प के साथ किये जाने की कार्यवाही की जाए।
 - ❖ पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा—110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।
 - ❖ पंचायत यह सुनिश्चित करें कि तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें नियमानुसार पंचायत निधि में पूरी तरह जमा करा दी जायें।
5. बिन्दु संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित समितियों को क्रियाशील करवाया जाये।
6. यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा समिति गठित नहीं की गई है तो समिति का गठन करवाया जाकर, उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण करने, ऐसे सभी अतिचार की, क्षेत्र के ब्यौरे और अतिचार की प्रकृति के साथ, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा नियमानुसार अतिक्रमण हटवाये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
7. उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्यां 06 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही बाबत संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से लिखित में शपथ पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.07.22 16:34:03 IST
Reason: Approved

8. बिन्दु संख्या 06 के अनुसार सर्वेक्षण के उपरान्त ग्राम पंचायतवार अतिक्रमित चरागाह के क्षेत्रफल सहित सबसे अधिक अतिक्रमित क्षेत्रफल वाली जिले की 10 ग्राम पंचायतों की सूची अतिक्रमित चरागाह के खसरा नं0 सहित पूर्ण विवरण इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
9. विभागीय पत्र राजकाज रेफ. नं0 12801212 दिनांक 03.01.2025 द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि एवं चरागाह में हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाये जाने है, की भी पालना निरन्तर किया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(इन्द्रजीत सिंह)

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रथम

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To
Government

Date: 2025.07.22 16:34:03 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16303608

eSign 1.0

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय-बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(प्राथमिक शाल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, पी-रंगीम, जयपुर, फोन 2220872, 2224755 (हेबर नं. 2224754)

क्रमांक : 5.5(16) / प्रा.वि. / बी.एफ.ए. / ब.भू.चा.वि.बो. / 2015-149-160

दिनांक : 27.4.17

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।


विषय : ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति" के गठन के सम्बन्ध में।

माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में 17 फरवरी, 2017 को बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की आयोजित हुयी बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण (अनु-2) के बिन्दु सं.4 के अनुसार जिला स्तर, ब्लॉक स्तर/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया जाना है। जिला स्तर की समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। ब्लॉक/पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है।

बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित समिति के सदस्यों एवं उत्तरदायित्व का विवरण साथ में संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। (अनु-1)

बंजर भूमि एवं चारागाह विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, मोनिटरिंग, सुपरविजन एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हेतु उक्त दोनों समितियों के गठन के आदेश 15 दिवस के अन्तर्गत जारी कराकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परि. निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण को अवगत कराने का श्रम करें।


संलग्न : उपरोक्तानुसार


(सुदर्शन सेठी) 26-4-2017
अति. मुख्य सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं अध्यक्ष, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. आयुक्त, महात्मागांधी नरेगा, जयपुर।
8. शासन सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।
12. मुख्य वन संरक्षक/उपवन संरक्षक, समस्त राजस्थान।


सी.ई.आ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर -

२३-१

क्रमांक : ५

दिनांक:

आज्ञा

बंजर भूमि एवं चारागाह विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, मोनिटरिंग, सुपरविजन एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, चारागाह विकास की वार्षिक कार्ययोजना की समीक्षा करने आदि के लिए ब्लॉक स्तर पर "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति" के गठन की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	प्रधान	अध्यक्ष
2	उपखण्ड अधिकारी	सह अध्यक्ष
3	पंचायत समिति सदस्य (सम्बन्धित क्षेत्र)	सदस्य
4	वन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
5	अधीक्षण अभियन्ता / सहा. अभियन्ता भू-संरक्षण	सदस्य
6	सहा. कृषि अधिकारी	सदस्य
7	प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के विषय विशेषज्ञ	विशेष आमंत्रित
8	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य रायित

विकास अधिकारी, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

समिति के उत्तरदायित्व

1. ब्लॉक की बंजर एवं चारागाह भूमि को निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्य योजना तैयार करना।
 2. बंजर एवं चारागाह भूमि में बाँड़ाबन्दी एवं जल/भूमि संरक्षण कार्यों का चिन्हिकरण कर, उनके के सम्पादन हेतु प्राथमिकता का निर्धारण करना।
 3. बंजर एवं चारागाह भूमि के विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रचलित नियमों (ग्रामीण विकास निर्देशिका एवं नवीन बी.एस.आर.) के अनुसार कार्य योजना तैयार करना।
 4. ग्राम पंचायत से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना/प्रस्तावों की एक माह में जांच कर आवश्यक संशोधन करते हुए अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना।
 5. जिला स्तर से जारी स्वीकृतियों के अनुसार कार्य सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना।
 6. जिला स्तरीय समिति से समय समय पर जारी आदेशों के पालना सुनिश्चित करना।
- समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जा सकेगी। लेकिन कम से कम 6 माह में एक बैठक आवश्यक होगी।

जिला कलेक्टर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं अध्यक्ष, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जयपुर।
2. प्रधान, पंचायत समिति -
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परि. निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सदस्य सचिव, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, जयपुर।
4. अति. कलेक्टर (राजस्व)
5. उपखण्ड अधिकारी -
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति -
7. उपवन संरक्षक - वन विभाग का प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु
8. उप निदेशक, कृषि विभाग
9. अधीक्षण अभियन्ता / सहा. अभियन्ता, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग,
10. पंचायत समिति सदस्य

जिला कलेक्टर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर -

अनु-1

दिनांक:

क्रमांक :प.

आज्ञा

बंजर भूमि एवं चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए बाड़ाबन्दी, जल/भू-संरक्षण कार्यों का चिन्हिकरण करन, चारागाह विकास हेतु कार्ययोजना तैयार कराने, अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही करने आदि के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर "बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति" के गठन की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	पंचायत समिति सदस्य (सम्बन्धित क्षेत्र)	सह अध्यक्ष
3	वार्ड पंच (सम्बन्धित क्षेत्र)	सदस्य
4	कृषि पर्यवेक्षक	सदस्य
5	पटवारी	सदस्य
6	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	सदस्य सचिव

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

समिति के उत्तरदायित्व

1. ग्राम पंचायत की बंजर एवं चारागाह भूमि को निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्य योजना तैयार करना। इस हेतु राजस्व विभाग के कार्मिक यथा पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव मुख्य रूप से उत्तदायी होंगे।
2. अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की जावेगी एवं अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक संसाधन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं में इस हेतु अनुमत दिशा-निर्देशों के तहत उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. बंजर एवं चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए बाड़ाबन्दी एवं जल/भूमि संरक्षण कार्यों का चिन्हिकरण कर, ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन कराते हुए उनके सम्पादन हेतु प्राथमिकता का निर्धारण करना।
4. बंजर एवं चारागाह भूमि के विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रचलित नियमों (ग्रामीण विकास निर्देशिका एवं नवीन बी.एस.आर.) के अनुसार कार्य योजना तैयार करना। योजना तैयार करते समय कार्यों हेतु बजट प्रावधान एवं योजना मद का स्पष्ट उल्लेख कर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक कार्य योजना ब्लॉक स्तर को प्रेषित करना।
5. ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में बैठक आयोजित कर उक्त वार्षिक कार्य योजना/प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु ब्लॉक स्तरीय समिति को प्रेषित करना।
6. ब्लॉक स्तरीय समिति एवं उच्च स्तर से समय समय पर जारी आदेशों के पालना सुनिश्चित कराना।

समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जा सकेगी। लेकिन कम से कम 6 माह में एक बैठक आवश्यक होगी।

जिला कलेक्टर

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग
क्रमांक : प. 6(45)प्र.सु./अनु-3/2007

दिनांक 31-7-2017

आदेश

चारागाह विकास, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, जल एवं भूमि संरक्षण हेतु कार्यों का चिन्हिकरण करने, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने एवं चारागाह विकास योजना की समीक्षा हेतु राजस्थान कार्य विधिनियम 55 के अर्न्तगत जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति का निम्नानुसार गठन किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


क्र. सं.	समिति	पद
1	जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2	जिला कलक्टर	सह अध्यक्ष
3	प्रधान	सदस्य
4	अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	सदस्य
5	उपवन संरक्षक (प्रादेशिक)	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि/अधीक्षण अभियन्ता, भू संरक्षण	सदस्य
7	जिला प्रशुपालन अधिकारी	सदस्य
8	विकास अधिकारी पंचायत समिति	विशेष आमंत्रित
9	प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के विषय विशेषज्ञ	विशेष आमंत्रित
10	स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन	विशेष आमंत्रित
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव

इस समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

समिति के निम्न कार्य होंगे :-


1. बंजर एवं चारागाह भूमि निर्धारित समयवधि में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्य योजना तैयार करना।
2. बंजर एवं चारागाह भूमि में बाड़ाबन्दी एवं जल/भूमि संरक्षण कार्यों का चिन्हिकरण कर, उनके के सम्पादन हेतु प्राथमिकता का निर्धारण करना।
3. बंजर एवं चारागाह भूमि के विकास हेतु जिले पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समन्वय कर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं से अभिसरण करने की कार्य योजना तैयार करना।
4. पंचायत समिति से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना की जांच एक माह में कर आवश्यक संशोधन करते हुए अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
5. राज्य सरकार से अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रगति की समीक्षा करना।
6. जिला स्तरीय समिति राज्य स्तर से समय-समय पर जारी आदेशों के पालना सुनिश्चित कराना।

जिला समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित होगी, लेकिन कम से कम 6 माह में एक बैठक आवश्यक होगी।


(डॉ० प्रेम सिंह धारण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान, जयपुर।
7. उप कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
14. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर, संदर्भ संख्या प.5(16)प्रावि/बीएफए/बमू/2015/745.
16. जिला कलेक्टर बारां/भीलवाड़ा/बांसवाड़ा/बूंदी/डूंगरपुर/कोटा/चित्तौड़गढ़/झालावाड़/सिरोही/राजसमंद एवं उदयपुर।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां/भीलवाड़ा/बांसवाड़ा/बूंदी/डूंगरपुर/कोटा/चित्तौड़गढ़/झालावाड़/सिरोही/राजसमंद एवं उदयपुर।
18. समस्त संबंधित।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
20. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को गजट में प्रकाशन हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।


3/7/17
(के.के. खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी



राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

[: 0141-2385027(O), & E-Mail ID: rajpr.jsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.4()पंरावि/आप्र/PPC 2025-26/2025-26/70273 जयपुर, दिनांक:

1. जिला कलक्टर,
जिला-समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-समस्त।

विषय:-02 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक संचालित जन योजना अभियान (PPC 2025-26) के गतिविधिवार कैलेण्डर के संबंध में।

संदर्भ:-पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा. पत्र दिनांक 17.09.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साक्ष्य आधारित समग्र पंचायत विकास योजनाएँ (पीडीपी) तैयार करने में पंचायतों को सक्षम बनाने हेतु जन योजना अभियान (PPC)-सबकी योजना सबका विकास' वर्ष 2018 से निरन्तर चलाया जा रहा है। इस क्रम में मंत्रालय, द्वारा जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की विषयगत (Thematic) पंचायत विकास योजनाओं (PDP) के निर्माण हेतु पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक जन योजना अभियान (People's Plan Campaign-2025-26) चलाया जा रहा है।

अभियान का गतिविधिवार कैलेण्डर निम्नानुसार है-

क्र. सं.	गतिविधि	समयावधि
1.	पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष ग्राम सभा के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए सम्बन्धित विभागों को पत्र जारी करना	तीसरा सप्ताह माह सितम्बर 2025
2.	पीपीसी 2025-26 के मोनेटरिंग प्लेटफॉर्म/पोर्टल का सक्रिय होना	23.09.2025
3.	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर)	23.09.2025
4.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहजकर्ता की नियुक्ति करना	23.09.2025
5.	परिचय कार्यशाला/आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण आयोजित करना	25.09.2025
6.	ग्राम सभा की बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	26.09.2025
7.	ग्राम सभावार कैलेण्डर पीपीसी पोर्टल पर अपलोड करना	27.09.2025
8.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना पट्ट प्रदर्शित करना	28.09.2025
9.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में GPDP हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित करना	02.10.2025

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2025.09.25 18:56:26 IST
Reason: Approved



10.	ग्राम सभा बैठकों के जियो-टैग किए गए दृश्यों को अपलोड करना	प्रथम ग्रा.स. के लिए अक्टूबर, 2025 का पहला सप्ताह और द्वितीय ग्रा.स. के लिए जनवरी, 2026 का दूसरा सप्ताह
11.	ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2026-27 को पोर्टल पर अपलोड करना	31.01.2026
12.	ब्लॉक पंचायत विकास योजना (BPDP) 2026-27 को पोर्टल पर अपलोड करना	28.02.2026
13.	जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) 2026-27 को पोर्टल पर अपलोड करना	31.03.2026

अभियान के दौरान व्यापक, सहभागी व लाइन विभागों के अभिसरण से वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए संरचित (Structured) ग्राम सभा की बैठके आयोजित की जाएं। (ग्रा.स. एजेण्डा संलग्न)

लाइन विभागों के संबंधित अधिकारियों एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा में अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करने एवं इन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कराने हेतु निर्देश प्रदान करें। इस संदर्भ में 7 केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी संयुक्त अ. शा. पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2022 की प्रति संलग्न हैं।

जीपीडीपी की तरह ही व्यापक, सहभागी व अभिसरित ब्लॉक पंचायत विकास योजनाएं (BPDP) एवं जिला पंचायत विकास योजनाएं (DPDP) निश्चित समयावधि तैयार की जाएं।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित के उपरोक्त निर्देशानुसार जन योजना अभियान-2025-26 के तहत वर्ष 2026-27 की जीपीडीपी, बीपीडीपी एवं डीपीडीपी का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(डॉ० जोगा राम)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, लाइन विभाग।
3. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय।
5. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, जिला-समस्त।
6. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त।
7. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-समस्त।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2025.09.25 18:56:26 IST
Reason: Approved

Point of deliberation in the Gram Sabhas during People's Plan Campaign:

1. **Review of Past Plans:**

The **People's Plan Campaign (PPC)** has been rolled out since 2018, and over the last seven years it has emerged as a significant platform for strengthening participatory planning at the grassroots level. The campaign has enabled Gram Panchayats to prepare comprehensive and inclusive Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) with active involvement of the community, thereby ensuring that local needs and priorities are duly reflected in the planning process.

The platform of the Gram Sabha, this year, may be used for reviewing the plan of the previous year. Data from the *Meri Panchayat App* to be used to assess progress of earlier Gram Sabha plans, identify reasons for delays or non-completion, and record challenges faced for future corrective action.

2. **Unspent Funds:**

For the year 2024-25, unspent fund under Central Finance Commission Grant (tied + untied grant) available with the Panchayats across the Country is 35,918 cr. The platform of the gram Sabha can be used for Stocktaking of balances, reasons for non-utilisation, and corrective measures.

3. **Unfinished/Pending Works:** As on date, out of 1.38 crore activities taken by Gram Panchayats, 1.35 crore has not been started. The platform of Gram Sabha to be used to deliberate on incomplete works, prioritising completion, and aligning funds.

4. **Discussion on quality GPDP:**

A good quality Gram Panchayat Development Plan (GPDP) plays a vital role in strengthening local governance and ensuring meaningful development at the grassroots. It provides a holistic framework that addresses the social, economic, and infrastructure needs of the community in a balanced manner. By basing decisions on real data and community inputs, the GPDP ensures that planning is both evidence-based and practical, making the outcomes more achievable and impactful.

Overall, a good quality GPDP strengthens the capacity of Gram Panchayats, improves transparency in governance, and enhances service delivery. It ensures that development is inclusive, participatory, and sustainable, thereby improving the quality of life of all members of the community.

Recognizing the need to address these gaps, the Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has developed an assessment indicator to score the quality of GPDP. The indicators are :

1. Has the quorum for Gram Sabha meeting been completed
2. Community participation in Gram Sabha meetings
3. Inclusion of SC/ST, women, specially abled and old age groups in planning process of GPDP

4. Bal Sabha and Mahila Sabha held prior to the Gram Sabha
5. Percentage of overall resources/funds allocated in Sankalp theme/s
6. Whether the Sankalp taken as per the gap identified under PAI
7. Percentage of activities in GPDP from Sankalp theme
8. Panchayat profile updated
9. OSR as percentage of Central Finance Commission Grants
10. Sectoral balance in planned activities (health, education, infrastructure, social justice, water & Sanitation)
11. Flagship schemes covered under GPDP
12. Inclusion of available resources from other departmental Schemes
13. Planning/inclusion of activities to enhance mobilization of own source revenue (OSR) in future
14. Number of activities proposed in GPDP from convergence of funds from different sources
15. Number of no cost activities included in GPDP

The same may be discussed during the Gram Sabha.

5. Panchayat Assessment Index (PAI):

Dissemination of PAI 1.0 has already been done. The platform of Gram Sabha to be used to discuss the score card of the Gram Panchayat; identify the critical gaps across the nine themes of LSDGs; set the local targeted intervention for evidence based GPDP. Based on the identified critical gaps, the Sankalp can be prioritised for the next plan year: 2026-27.

6. Own Source Revenue (OSR):

- Reviewing current OSR collection and exploring new avenues to enhance revenue generation and collection.
- Exact assessment of OSR to be generated by the Gram Panchayat.
- It has been observed that OSR expenditure is not being correctly booked under OSR resource envelope. The platform to be used to disseminate the correct procedure for booking of the expenditure correctly.
- Discussion on existing OSR avenues that requires restoration/renovation, that will improve the overall functionality.

In addition, Ministry of Tribal Affairs has desired agenda of **Strengthening of Adi Karmayogi Abhiyaan**, a Campaign aimed towards empowering tribal communities, to be included in the Gram Sabha. Further, local volunteers in their campaign, called Adi Sahyogis and Adi Sathis may also be mobilised during the Gram Sabha deliberations. Also, Effort may be made to include the Adi Karmayogis in the Gram Panchayat Facilitation teams.

State Tribal Development Department may be consulted to operationalise these provisions within the broad framework of GPDP preparation guidelines issue by MoPR.